ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ- ਕਮ− ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ

ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ, ਈ-ਬਲਾਕ, 5^{ਵੀਂ} ਮੰਜ਼ਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫੇਜ਼ – 8, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ

ਫੋਨ ਨੰ: - 0172-5212313, 370 ਫੈਕਸ ਨੰ: - 0172-5212359

ਵੱਲ:

ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਮੁੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਰਾਂਹੀ।

ਮੀਮੋ ਨੰ.2020/ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ/ਕੋਆਰਡੀਨੇਸਨ/ ਮਿਤੀ: ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ,

ਵਿਸ਼ਾ:-

Observance of silence on 30th January in the memory of those who gave their lives in the struggle for India's Freedom.

ਹਵਾਲਾ:-

ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: GAD-CORDOCELB/1/1/7290/2020 ਮਿਤੀ: 24.01.2020

1.0

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਸਬੰਧੀ।

2.0

ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਕਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹੁਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

> – ਮ੍ਹੀ -ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰਕਟਰ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਉਕਤ 3੧੧३੧-੫। ਮਿਤੀ: ੨੧/੦ / ੨੦੨੦

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

- 1. ਪੀ.ਆਰ.ੳ/ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ (ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ)।
- 2. ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.ਸਿ/ਐ.ਸਿ),ਪੰਜਾਬ।

ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰਕਟਰ।

Tramph email



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਆਮ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ)

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

- 1. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ,
- 2. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
- 3. ਰਜਿਸਟਰਾਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ।

ਮੀਮੋ ਨੰ: GAD-CORDOCELB/1/1/7290/2020

ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 24.0 1.2020

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਹੈ।

Observance of silence on 30^{th} January in the memory of those who gave their lives in the struggle for India's freedom.

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

2. ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ , ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੰ: 2/2/2020-Public ਮਿਤੀ 08.01.2020 ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹੁਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੋਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

พ่ำ:โਵ:น่ำ:ก่ำ: GAD-CORDOCELB/1/1/7290/2020

ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:24.01.2020

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ-1 ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ

– ਸ਼ਹੀ ਸੁਪਰਡੰਟ

299 (84) (B)

No.2/2/2020-Public Government of India / Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs / GrihMantralaya

1 0 JAN 2020.

IST DSUARC

The Chief Secretaries/Administrators of all

State Governments/Union Territory Administrations

North Block, New Delhi. Dated g January, 2020

SSC QUAY THROP

Subject:-Observance of silence on 30th January in the memory of those who gave their lives in the struggle for India's freedom-

Sir/ Madam,

I am directed to say that on 30th January every year, two minutes' silence is observed at 11:00 A.M., throughout the country, in the memory of those who gave their lives in the struggle for India's freedom.

2. The following standing instructions have been laid down for observance of this day:

(i) Silence should be observed and work and movement stopped for two minutes throughout the country at 11:00 A. M. on 30th January every year.

- (ii) Wherever available, the commencement and termination of the two minutes' silence period should be indicated by sound of siren or Army guns. Sirens should be sounded from 10:59 hrs till 11:00 hrs and after two minutes, all clear sirens should again be sounded from 11:02 hours till 11:03 hours. This procedure may be adopted where sirens exist.
- (iii) On hearing the signal (wherever available), all persons would stand up and observe the silence. It would be more effective if people could gather at one place for observing the silence instead of each person standing in his room or at any other place. However, effort need not be made to assemble at one place if it involves serious dislocation of work.
- (iv) At places where no signal system is available, suitable instructions can be passed on to all concerned for observing the silence for two minutes at 11:00 A.M.

..2/

300



- 3. In the past, it has been observed that while two minutes' silence is observed in some offices, the general public goes about its occupation in the ordinary course, unmindful of the solemnity of the occasion. The State Governments/ Union Territories are, therefore, requested to take necessary steps to ensure that the Martyrs' Day is observed with due solemnity and with better public participation. For this, they are requested to take the following steps:-
 - (i) Instructions may be issued to all educational institutions in the State/
 Union Territory and Public Sector Enterprises under them for observance
 of the Martyrs' Day with full solemnity and in a befitting manner.
 Speeches and talks connected with the significance of the day, particularly
 mentioning the role of freedom fighters in the freedom of India may be
 made. The theme of talks and speeches could also deal with the duty and
 the moral obligation of every citizen to preserve, protect and enrich the
 hard-earned freedom and to promote a sense of national integration and
 commitment to common goals and ideals.
 - (ii) Field publicity units of the States/Union Territories may hold programmes and/ or films/ documentaries with the basic themes of Indian Freedom Movement, the role of the martyrs in the Freedom Struggle and national integration.
 - (iii) Various Chambers of Commerce and Industry in the States/Union Territories may also be requested to ensure proper observance of the Martyrs' Day by their members and affiliated associations and organisations.

Yours faithfully,

Gupu Runal of 1/2020 (Deepak Kumar)

Under Secretary to the Government of India Tele. No.011-23092421

No. 2/2/2020- Public

New Delhi, the 2 January, 2020.

Copy, for information, to the Secretary to the Governors/ Lt. Governors of all States/ Union Territory Administrations.

Supel Kenal (Deepak Kumar)/2020

Under Secretary to the Government of India Tele. No.011- 23092421;

No. 2/2/2020-Public

New Delhi, the January, 2020

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- All Ministries / Departments of the Goyt. of India
- 2. President's Secretariat
- 3. Vice-President's Secretariat
- Prime Minister's Office
- 5. Registrar, Supreme Court of India
- Registrar, Delhi High Court
- 7. Cabinet Secretariat
- 8. Rajya Sabha Secretariat
- 9. Lok Sabha Secretariat
- NITI Aayog 10.
- 11. Election Commission of India
- Union Public Service Commission 12.
- Office of Comptroller and Auditor General of India 13.
- Central Vigilance Commission 14.
- 15. University Grants Commission
- 16. National Commission for SCs
- 17. National Commission for STs
- 18. Law Commission
- 19. National Commission for Minorities
- National Commission for Women 20.
- 21, National Human Rights Commission
- 22. Manager, Reserve Bank of India
- All attached & subordinate offices of the Ministry of Home Affairs 23. located at Delhi/New Delhi
- 24. Ad.III Section, MHA
- Principal Information Officer, ShastriBhawan, New Delhi-110001 25. for appropriate media coverage of the event.
- 26. ADG (Media), MHA, North Block.

Spare copies 5

(Deepak Kumar)

Under Secretary to the Government of India Tele. No.011- 23092421

सं. 2/2/2020-पब्लिक भारत सरकार गृह मंत्रालय



नई दिल्ली, नॉर्थ ब्लॉक दिनांक 8 जनवरी, 2020

सेवा में,


सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासक

विषय : भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणो की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को मौन धारण करना ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को पूर्वाहन 11: 00 बजे देश भर में दो मिनट का मौन रखा जाता है।

- 2. इस दिन को मनाने के लिए निम्नितिखित स्थायी अनुदेश निर्धारित किए गए हैं: -
- (i) प्रतिवर्ष 30 जनवरी को पूर्वाहन 11: 00 बजे देश भर में दो मिनट का मौन रखा जाना चाहिए तथा काम और गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए।
- (ii) जहां उपलब्ध हो, दो मिनट के मौन रखा जाना चाहिए तथा काम और गतिविधियाँ रोक दी जानी चाहिए। दो मिनट का मौन शुरू होने की सूचना पूर्वाहन 10:59 बजे से 11:00 बजे तक सायरन बजाकर दी जानी चाहिए और फिर दो मिनट बाद 11.02 से 11.03 बजे तक पुनः आल क्लियर सायरन बजाए जाने चाहिए। जहां सायरन उपलब्ध हो वहाँ यही कार्यविधि अपनाई जाये।
- (iii) सिग्नल (जहाँ उपलब्ध हो), सुनकर सभी व्यक्ति खड़े हो जाएँ और मौन धारण करें। मौन धारण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कमरे में अथवा किसी दूसरे स्थान पर, अकेले खड़े होने के बंजाए सभी व्यक्तियों द्वारा एक ही स्थान पर इकट्ठे खड़े होना अधिक प्रभावशाली होगा। फिर भी यदि कार्य में अत्यधिक अस्त व्यस्ता होने की आशंका हो तो सबको एक जगह एकत्रित किये जाने के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।



- जिन स्थानों पर सिग्नल की कोई व्यस्था न हो वहां पूर्वाहन 11:00 बजे दो मिनट का (iv) मौन धारण करने के लिए सभी सबंधितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जा सकते हैं।
- विगत में, यह देखा गया है कि यधिप कुछ कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखा जाता है परन्तु आम जनता इस अवसर की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना सामान्य रूप से अपने कामकाज में लगी रहती है । इसलिए, राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे शहीद दिवस पर शहीदों के प्रति श्रद्धा सम्मान की भावना को जागरूक करते हुए इस श्रद्धांजलि में जनता के प्रत्येक वर्ग की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें । इस प्रयोजनार्थ उनसे निम्नलिखित कदम उठाने का अन्रोध किया जाता है:-
- शहीद दिवस को गंभीरतापूर्वक तथा उचित रूप से मनाये जाने के लिए सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित शैक्षिक संस्थाओ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अन्देश जारी किये जायें। इस दिन के महत्व के बारे में भाषण और वार्तायें आयोजित की जायें जिनमें भारत की स्वतंत्रता में स्वतंत्रा सेनानियों की भूमिका का विशेष उल्लेख किया जाये। कठिनाई से प्राप्त की गयी स्वतंत्रता की संरक्षा, सुरक्षा तथा समृद्धि के प्रति प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य और नैतिक दायित्व को इन भाषणों एवं वार्ताओं का विषय बनाया जा सकता है और राष्ट्रीय एकता की भावना के सवर्धन तथा साझा उद्देश्यों और आदशों के प्रति वचनबद्धता का भी उल्लेख किया जा सकता है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें ऐसे कार्यकर्मी और/ अथवा फिल्मों / वृत (ii) चित्रों का आयोजन कर सकती हैं जिनका मूल विषय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की भूमिका और राष्ट्रिय एकता हो।
- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्य और उधोग संघो से भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाये कि उनके सदस्य, सम्बन्ध एसोसिएशने तथा संगठन शहीद दिवस को उचित रूप से मनायें।

भवदीय

effort 2020 (दीपक कुमार)

अवर सचिव , भारत सरकार

दूरभाष 011-23012421

प्रतिलिपि , सभी राज्यों के राज्यपालों / उप-राज्यपालों के सचिवों /संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासको को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(दीपक कुमार/)

अवर सचिव , भारत सरकार दूरभाष 011-23012421



नंबर 2/2/2020-पब्लिक

नई दिल्ली, १ जनवरी, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित -

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
- 2. राष्ट्रपति सचिवालय
- 3. उपराष्ट्रपति सचिवालय
- 4. प्रधान मंत्री कार्यालय
- रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय.
- 6. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
- 7. मंत्रिमंडल सचिवालय
- 8. राज्यसभा सचिवालय
- 9. लोकसभा सचिवालय
- 10. नीति आयोग
- 11. निर्वाचन आयोग
- 12. संघ लोक सेवा आयोग
- 13. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
- 14. केंद्रीय सतर्कता आयोग
- 15. विश्वविधालय अनुदान आयोग
- 16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- 17. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- 18. विधि आयोग
- 19. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- 20. राष्ट्रीय महिला आयोग
- 21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- 22. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
- 23. दिल्ली / नई दिल्ली में स्थित गृह मंत्रालय के सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय
- 24. Ad.III अनुभाग, गृह मंत्रालय
- 25. मुख्य सूचना अधिकारी, शास्त्रीअवन, नई दिल्ली -110001 समारोह की उचित मीडिया कवरेज देने
- के लिए।
- 26. एडीजी (मीडिया), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक।

अतिरिक्त प्रतियां -5

अवर सचिव , भारत सरकार द्रभाष - 23092421